सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

श्री अखिलेश कुमार मिश्रा पुत्र श्री मदनलाल मिश्रा, निवासी मिश्रा सदन, पंचायत समिति रोड, दौसा जिला दौसा राज0 303303

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा जिला दौसा

अपील संख्या 127/2025

निर्णय

दिनांक 27.10.2025

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा जिला दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा जिला दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांट को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा से संबंधित है। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को इस कार्यालय के पत्र कमांकःडीएम कोर्ट/2025/2682 दिनांक 13.10.2025 द्वारा पत्र जारी कर अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट चाही गई। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा जिला दौसा द्वारा पत्र कमांकःआरटीआई/2025/881 दिनांक 14.10.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलांट को वांछित सूचना जरिये पत्र कमाकःआरटीआई/2025/811 दिनांक 18.9.2025 के द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। जिसकी प्रति पत्रावली में मौजुद है। अपील मीमो का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलांट को पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलांट को चाहि गई पूर्ण सूचना आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:02 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर